यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी) के माह 05/2013 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों एवं श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09/10/2017 से 24/10/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय एवं श्री राजेश सन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 27/03/2013 से 30/03/2013 तक श्री सी.एस. बोहरा, व. लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2011 से 04/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः नहर निर्माण एवं पुनर्निर्माण, पुरोला, नौगांव और मोरी।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	संलग्न						
2015-16							
2016-17							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	केन्द्रीय योजना	-	818.62	818.62	-
2015-16	केन्द्रीय योजना	-	1704.83	1704.83	-
2016-17	केन्द्रीय योजना	-	95.55	95.55	-
2017-18	केन्द्रीय योजना	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, संचाई वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 07/2015 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। खरादी बाढ़ सुरक्षा कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक .....N.A.... से ....N.A..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 03/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 05/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ₹12625000/-

   भाग द् वतीय ₹199330/-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम : ₹ 7940389/-

   (ख) सामग्री क्रय : शून्य

   (ग) नगद परिशोधन : शून्य

   (घ) निक्षेप : 8348794/-

   (ङ) भण्डार : (-) 632165/-

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1 : अपूर्ण कार्य पर 111.97 लाख का व्ययवर्तन।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 के मध्य 54 योजनाओं (चालू नहरों के पुनरोद्धार) हेतु कुल 822.52 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल आवंटन 154.67 लाख था।

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला के अ भलेखों की लेखक परीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2017) खण्ड द्वारा उपरोक्त कार्यों पर आवंटित धनरा श 154.67 लाख के सापेक्ष 111.97 लाख अ धक व्यय करते हुये कुल 266.64 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य को पूर्ण नहीं कया जा सका था।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुए बताया गया क नहरों का जीर्णोद्धार कराना अत्यंत आवश्यक होने के कारण जिला योजना के अंतर्गत बाढ सुरक्षा योजनाओं एवं नवनिर्माण हेतु प्राप्त धनरा श से कार्यों का भुगतान कया गया है। भ वष्य में धनरा श प्राप्त होने पर समायोजन कर लया जाएगा।

अतः खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क खण्ड द्वारा न केवल अवमुक्त धनरा श से 111.97 लाख अ धक धनरा श का व्यायावर्तन कया गया अ पतु इसके उपरांत भी कार्य अपूर्ण था, का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2: 100.93 लाख की धनरा श का व्ययवर्तन **(DIVERSION).**

अ धशासी अ भयन्ता संचाई खण्ड पुरोला के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क मा सक लेखा माह फरवरी 2016 में लेखाशीर्ष 4711 के अन्तर्गत CSSR कार्य Molana Flood Protection Work पर 18,92,771/- एवं Kharadi Flood Protection कार्य पर 82,00526/- अर्थात कुल 1,00,93,297/- का व्यय भारित कया गया है (प्रपत्र-64) जब क संबं धत बाऊचरों का अवलोकन करने पर पाया गया क उक्त व्ययों का भुगतान लेखाशीर्ष 2245 SPA(R) में उपलब्ध साख सीमा की धनरा श से कया गया है। इस प्रकार लेखाशीर्ष 2245 SPA(R) से संबं धत 1,00,93,297/- की धनरा श का व्ययवर्तन (DIVERSION) करते हुए लेखाशीर्ष 4711 के अंतर्गत उक्त कार्यों पर भारित कया गया है।

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क उक्त योजनाये केन्द्रपो षत है। दोनों योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराने के उपरांत धनावंटन समय पर न होने के फलस्वरूप लेखाशीर्ष 4711 से भुगतान कर दिया गया था ज क बाद में धनरा श प्राप्त होने पर समायोजित कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क धनरा शयों का व्ययवर्तन (DIVERSION) कया जाना वत्तीय नियमावली के वरूद्ध होने के साथ साथ खण्ड द्वारा उक्त धनरा शयों के समायोजन से संबं धत कोई भी दस्तावेज/अ भलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कया गया।

अतः 100.93 लाख की धनरा श का व्ययवर्तन (DIVERSION) के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- वत्तीय नियमावली के वपरीत 209.72 लाख के अनुबंध बिना वत्तीय एवं प्रा व धक स्वीकृति के गठित करना, एवं कार्य को टुकड़ों में वभाजित करने से कार्य पर 5.01 लाख का परिहार्य व्यय।

देवी आपदा/सी.सी.एस.एस.आर. (पुननिर्माण) के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के वकास खण्ड मोरी में इंटर कालेज एवं हास्टिल बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 05/2014 और प्रा व धक स्वीकृति माह 10/2014 में 296.93 लाख की प्राप्त थी।

उक्त कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क कार्य को टुकड़ों में वभाजित करते हुए कुल 14 अनुबंध गठित कये गये थे जिस में से अनुबंध संख्या 01/SE/2013-14 Estimated cost ₹ 2,09,72,450/-दिनांक 26/03/2014 को यानि वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत (05/2014) और प्रा व धक स्वीकृत (10/2014) प्राप्त करने से पूर्व ही गठित कया गया था। आगे यह भी पाया गया क यदि खण्ड द्वारा कार्य को वभाजित न करते हुए एक ही अनुबंध गठित कया होता तो कार्य पर 5,00,972/- धनरा श की बचत अनुबंध संख्या 1/SE/2013-14 क तुलना में होती। (ववरण संलग्न)

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क स्वीकृति की प्रत्यासा में अनुबंध गठित कया गया। कार्य को वभाजित न करने हेतु एक ही अनुबंध गठित करने से 5,00,972/- की बचत होती के संबंध में बताया गया क कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु ही टुकड़ों में कार्य कराया गया। स्वीकृत दरों पर ही कार्य कराया गया है। कसी प्रकार की धनरा श का अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति और प्रा व धक स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुबंध गठित करना वत्तीय नियमावली के वपरीत है। साथ ही खण्ड का उत्तर, कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु कार्य टुकड़ों में कराया गया है , लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यों क खण्ड द्वारा कार्य हेतु प्रथम अनुबंध (अनुबंध संख्या 01/SE/2013-14) गठित करने के बाद अन्य सभी 13 अनुबंध 18 से 24 माह के बाद गठित कये गये है।

अतः वत्तीय नियमावली के वपरीत वत्तीय एवं प्रा व धक स्वीकृति के बिना अनुबंध गठित करना, एवं कार्य को टुकड़ों में वभाजित कराने से 5,00,972/- के परिहार्य व्यय के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
23/2001-02	-	1,2
104/2004-05	-	2
10/2006-07	-	1
29/2009-10	-	1,2
99/2010-11	1	1
16/2013-14	-	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) माप पुस्तिका सं. 286 (L)

(ii) कुमरा पाया नहर के नव निर्माण पर 23.64 लाख के कये गये व्यय से संबं धत व.आ., वाऊचर, मा. पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कया जाना।

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वकास श्रीवास्तव	अ धशासी अ भयन्ता 03/07/2017 से अब तक
(ii)	श्री आर.के. गुप्ता	अ धशासी अ भयन्ता 04/08/2012 से 03/07/2017

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री अशोक पग्गल

(ii) श्री धीरेन्द्र

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन , कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II